संख्या-4/2015/382/44-1-2015-04(बजट-4)/2014

प्रेषक,

डा0 सूर्य प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0,
242-जवाहर भवन, लखनऊ।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 15 अप्रैल, 2015

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये आय-व्ययक की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक (वित्त; व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:2/2015/ बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 (छाया प्रति संलग्न) के क्रम में आपके पत्र संख्या: 812/ब्यूरो/लेखा/2015-30/14, दिनांक: 31 मार्च, 2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये बजट मैनुअल के पैरा-88 के प्राविधानों के अनुसार अनुदान संख्या: 85 के लेखा शीर्षक-'3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय- आयोजनेत्तर-03; सार्वजनिक उद्यम निदेशालय तथा 04; सार्वजनिक उद्यम विभाग (आडिट प्रकोष्ठ) के अन्तर्गत विभिन्न मदों में दर्शायी गयी धनराशियों को वित्तीय वर्ष् 2015-16 के लिये व्यय करने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2; वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, निदेशालय एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग (आडिट-प्रकोष्ठ) के लिये प्राविधानित धनराशियों का विवरण निम्नवत है:-

03- सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो निदेशालय

मानक मद संख्या	वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्राविधानित धनराशि
01- वेतन	21500
02- मजदूरी	200

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

03- मंहगाई भत्ता	25800
04- यात्रा व्यय	100
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	25
06- अन्य भत्ते	2600
07- मानदेय	20
08- कार्यालय व्यय	300
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	200
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	350
13- टेलीफोन पर व्यय	150
15- गाडियों का अनुरक्षण और पेटोल आदि की खरीद	800
16- व्यावसायिक तथा विशेष् सेवाओं के लिए भुगतान	100
18- प्रकाशन	1
22- आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि	1
42- अन्य व्यय	25
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	70
45- अवकाश यात्रा व्यय	100
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	1
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	500
49- चिकित्सा व्यय	750
51- वर्दी व्यय	40
योग 03	53633

4; सार्वजनिक उद्यम विभाग (आडिट प्रकोष्ठ)

मानक मद संख्या	वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्राविधानित धनराशि
01- वेतन	360
02- मजदूरी	10
03- मंहगाई भत्ता	432
04- यात्रा व्यय	10
06- अन्य भत्ते	40
07- मानदेय	15
08- कार्यालय व्यय	30
11- लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	20

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	60
13. टेलीफोन पर व्यय	25
16- व्यावसायिक तथा विशेष् सेवाओं के लिए भुगतान	100
42- अन्य व्यय	25
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10
45- अवकाश यात्र व्यय	10
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	100
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	50
49- चिकित्सा व्यय	50
51- वर्दी व्यय	1
योग 04	1348
महायोग	54981

(रू0 पांच करोड उन्चास लाख इक्यासी हजार मात्र)

3- उपरोक्त धनराशि उक्त विवरणानुसार आपके निर्वतन पर रखी जा रही है।

4- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैन्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

5- जिन योजनाओं को समाप्त करने के लिए पूर्व में उच्च स्तरीय निर्देश दिए जा चुके हैं, उन योजनाओं के लिए बिना वित्त विभाग की पूर्व सहमति से कोई धनराशि स्वीकृति न की जाये ।

6- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जाये ताकि अपव्यय को रोका जा सके।

7- उपरोक्त के साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुदानों को विभागवार / विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखा शीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार कार्यालय में व्यय को सुसंगत लेखाशीर्ष अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकन (बुकिंग) त्रुटि रह जाने की सम्भावना रहती है। अत: जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जायें उनमें सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सहित) के साथ-साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाये, जिससे महालेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद में व्यय के आंकडों की बुकिंग में त्रुटियाँ न होने पायें।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 सूर्य प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-4/2015/382/44-1/2015-04(बजट-4)/2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी), प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वित्त (आय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा), सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0,242;जवाहर भवन, लखनऊ।
7- विशेष कार्याधिकारी, सा0उ0 विभाग (आडिट प्रकोष्ठ), जवाहर भवन, लखनऊ।
8- आहरण एवं वितरण अधिकारी, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0, 242;जवाहर भवन, लखनऊ।
9- आहरण एवं वितरण अधिकारी, सार्वजनिक उद्यम विभाग (आडिट प्रकोष्ठ), जवाहर भवन, लखनऊ।
10- बजट सहायक/ गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुरारी लाल)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in